

## अधिसूचना

न०/1980 एस०ई०सी०/-ई111/95

दिनांक 13-1-95

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) का अनुसरण करते हुए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो सदस्य जिला परिषद रिवाड़ी जिला रिवाड़ी के सदस्य चुने गये हैं, अधिसूचित किये जाते हैं:

क्रमांक	वार्ड न०	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	वर्ग/सा०/आरक्षित
1.	2.	3.	4.
1	1	श्री जिले सिंह पुत्र श्री मकखन लाल	पि०ज०
2	2	श्रीमति शशी पत्नी श्री जय सिंह	सा०
3	3	श्रीमति अनिता पत्नी श्री ओंमकार नाथ	सा०
4	4	श्री हरी सिंह पुत्र श्री नन्द लाल	अ०ज०
5	5	श्रीमति शकुन्तला पत्नी कुलदीप सिंह	सा०
6	6	श्री शिवकुमार पुत्र श्री गंगा राम	सा०
7	7	श्री वीरेन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र	सा०
8	8	श्रीमति शुभ पत्नी श्री अरविन्द	सा०
9	9	श्री विजय सिंह पुत्र श्री भूप सिंह	सा०
10	10	श्रीमति कैलास देवी पत्नी श्री टेकचन्द	अ०ज०
11	11	श्री हीरा लाल पुत्र हरफूल सिंह	अ०ज०
12	12	मेद सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह	सा०
13	13	रतन चन्द पुत्र श्री कांशी राम	सा०

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 1740 आफ 1994 में दिनांक 21.12.94 को पारित आदेशों के अनुसार उपरोक्त परिणाम इस याचिका के परिणाम पर आधारित होंगे।

जे. के. दुग्गल  
राज्य निर्वाचन आयुक्त  
हरियाणा, चण्डीगढ़